

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयलस जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम को हुकम  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

5-624

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 23-7-24 को  
पेश हो ।

*WV*  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

23<sup>7</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित विपक्षीगण  
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा-पत्र  
किये गये । विपक्षीगण को कितनी मतिवा आवाज  
दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित । इनके विरुद्ध  
एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जा रहा है  
वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर निर्णय  
सुपक से लिखा जाकर शा-पत्र किया गया । पत्रावली  
कैलद शुमार लेकर नम्बर से कम है ।

*WV*  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनीष, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या - 24/24 प्रापत्र

1- श्री कुन्दैयालाल दलवी वाटुलाल कुमावत निवासी- कापवो कार्येडा त० माण्डल [विंगेय]

बनाम

1- श्रीमती तुलसी प्र० अंवरलाल कुमावत निवासी- कापवो कार्येडा त० माण्डल [विंगेय]  
(पृथक्कित प्रापत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक - 23-7-24


आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ~~कापवो कार्येडा~~ पटवार हल्का करिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 1693, 1702, 1703, 1704, 1705, 1715, 1716 कुल कित्ता 07 रकबा 0.6577 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतदायिका के सीमा चिन्ह नहीं होने से आद्य दिन सीमा सयधी विवाद उत्पन्न हुआ रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगटी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25-6-24 को पंजीकृत किया जाकर प्रकल्प को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कच्चे कारत कारत की होने से पत्थरगटी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~कापवो कार्येडा~~ हल्का करिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 1693, 1702, 1703, 1704, 1705, 1715, 1716 कुल कित्ता 07 रकबा 0.6577 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता कराने के लिये जाने हेतु पत्थरगटी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगटी किये जाने हेतु नू-अमितेख निरीक्षण अखिमपस को 500 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौक 3 कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्दु को आधार मानकर पत्थरगटी की जावे। फराल खडी होने पर पत्थरगटी नहीं की जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगटी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल